<u>न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी –शैल कुमारी सोलंकी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्याः 16 सन् 2021

CNR NO. RJSG 200000652021

राजस्थान राज्य

बनाम

1–अमरीश पुरी पुत्र श्री राजेन्द्र पुरी उम्र 27 साल निवासी गांव 2 आर.जे.एम. राजाना डाकघर गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन सर्वेयर कार्यालय स्टार एग्री लिमिटेड कम्पनी, श्रीगंगानगर मूंगफली खरीद उप केन्द्र सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––अभियुक्त

<u>आरोप बाबत आदेश</u>

प्रतिनिधित्वः–

(1) विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।
(2) श्री ,मदन यादव अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

<u>––आदेश––</u> **दिनांक– 03.02.2026**

1. आरोप विरचना के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया था। इस हेतु चालान पत्रावली का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। परिवादी ने आरोपी के विरूद्ध झूठी शिकायत पेश की है। आरोपी को झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा पत्रावली पर पेश किये गये दस्तावेज तथा गवाहों की साक्ष्य से आरोपी के विरूद्ध 7 पीसी एक्ट 1988 के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी को उन्मोचित किया जावे।

2. विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्त को उपरोक्त धारा में आरोपित किया जावे।

3. न्यायालय के समक्ष मौजूद अभियोजन पत्रावली के अवलोकन से जो तथ्य हमारे समक्ष आते हैं वे यह हैं कि परिवादी काशीराम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया कि राजफेड द्वारा सूरतगढ़ धानमण्डी में मूंगफली की सरकारी खरीद की जा रही है। उनकी कृषि भूमि उदयपुर गोदारान में उसके चाचा जगदीश पुत्र हरचन्दराम के नाम से है। जिसकी गिरदावरी व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने मूंगफली बेचने हेतु प्राप्त किया था। फिर मोबाइल में मैसेज के द्वारा मूंगफली बेचने की तारीख 19.12.17 तय होने पर वे आज एक ट्राली मूंगफली धानमण्डी सूरतगढ़ में लाये थे। जहां राजफेड के कर्मचारी अमरीश कुमार द्वारा उनकी मूंगफली देखकर खराब होना बताकर खरीदने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि उनकी मूंगफली अच्छी किस्म की है तब उसने कहा कि वे तो बिल्कुल साफ मूंगफली भी खर्चा पानी लेकर खरीदते हैं। उनकी मूंगफली तो खराब है। हमने कहा कि साहब वे गरीब किसान हैं जैसे भी हो उनकी मूंगफली पास

करो, तब उसने कहा दो सौ रूपये प्रति क्विंटल खर्चा देते हो तो उनका माल पास कर देंगे। कर्मचारी अमरीश भ्रष्ट आदमी है तथा काश्तकारों को नाजायज परेशान कर रिश्वत बटोर रहा है। उनकी मूंगफली करीब 18 क्विंटल है जिसके दो सौ रूपये के हिसाब से 3500–3600 रूपये बनते हैं। वह यह रिश्वत राशि नहीं देना चाहते हैं। कर्मचारी अमरीश को रिश्वत लेते को पकड़ाना चाहते है। उसकी व उसके चाचा जगदीश की काश्त साथ है। उसके चाचा भी उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करवाने हेतु सहमत हैं। वह उनकी जमीन की गिरदावरी व ई मित्रा से मूंगफली बेचने का प्राप्त टोकन तथा अन्य आवश्यक कागजों की फोटो प्रति पेश कर रहा है। उनकी कर्मचारी अमरीश कुमार से कोई रंजिश नहीं व ना ही कोई लेनदेन बाकी है। कानूनी कार्यवाही करें। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2018 दर्ज की गयी व अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

4. प्रकरण के सम्पूर्ण अनुसंधान से प्रकट हुए तथ्यों, गवाहान के बयानों, सारगर्भित अभिलेखीय साक्ष्यों तथा परिवादी द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट जिस पर ब्यूरो द्वारा करवाई गई गोपनीय सत्यापन कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड हुई वार्ता से पाया गया कि परिवादी श्री काशीराम के चाचा जगदीश के नाम उदयपुर गोदारान में स्थित चक 5,6 एमआरएम की कृषि भूमि पर मूंगफली की सरकारी खरीद हेतु गिरदावरी व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होकर दिनांक 19.12.17 को पास करवाकर तुलवाने हेतु परिवादी द्वारा एक ट्राली मूंगफली धानमंडी सूरतगढ़ में लाने पर परिवादी की मूंगफली को पास कर तुलाई करने की एवज में नैफेड के माध्यम से नियुक्त स्टार एग्री कम्पनी लि0 के श्री अमरीश कुमार, सर्वेयर द्वारा दिनांक 19.12.17 को वक्त सत्यापन परिवादी से 18 क्विंटल मूंगफली के 200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 3600 रूपये रिश्वत मांग करना तथा परिवादी की मूंगफली को पास कर तुलाई करवाने संबंधी कार्य आरोपी के पास लंबित होना पाये जाने पर आरोपी अमरीश पुरी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में आरोपी अमरीश पुरी को कम्पनी द्वारा सूरतगढ़ केन्द्र पर मूंगफली की जांच हेतु दिनांक 31.10.2017 को नियुक्त किया गया था जिसको स्टार एग्री लिमिटेड कम्पनी, श्रीगंगानगर के द्वारा नैफेड विभाग से प्राप्त 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता था। ट्रेप कार्यवाही के उपरांत अमरीश पुरी को कम्पनी ने दिनांक 09.02.18 को उक्त पद से हटा दिया है। जो वर्तमान में न तो सरकारी कर्मचारी ना ही कम्पनी का कर्मचारी है अतः आरोपी की अभियोजन स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। अतः अभियुक्त अमरीश पुरी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अपराध में चार्जशीट नम्बर 63/2019 दिनांक 15.03.2019 पेश की।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सत्यापन वार्ता में पैसों की मांग किये जाने का जिक्र आया है और इस अनुक्रम में आरोपी द्वारा परिवादी से दिनांक 19.12.17 को 3600 रूपये की रिश्वत की मांग करने के तथ्य पत्रावली पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार पत्रावली पर आये साक्ष्य से प्रथम दृष्टया आरोपी के विरूद्ध आरोप धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार है क्योंकि आरोप

विरचित करने के लिए यह सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्त है कि मजबूत संदेह के आधार पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एसीबी द्वारा किये गये अनुसंधान को साबित करने के लिये चार्जशीट में कहे गये तथ्य तथा अभियुक्त अमरीश पुरी के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के संबंध में पेश की गयी साक्ष्य जिसमें कुल 14 दस्तावेज तथा 15 गवाह हैं। इस प्रकार चार्जशीट में कहे गये तथ्य तथा किये गये अनुसंधान के अवलोकन तथा उनके साथ पेश किये गये दस्तावेज तथा गवाहों की सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अमरीश पुरी पुत्र श्री राजेन्द्र पुरी उम्र 27 साल निवासी गांव 2 आर.जे.एम. राजाना डाकघर गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन सर्वेयर कार्यालय स्टार एग्री लिमिटेड कम्पनी, श्रीगंगानगर मूंगफली खरीद उप केन्द्र सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के आरोप विरचित किये जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद हैं। तदनुसार आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(शैल कुमारी सोलंकी)

6. आदेश आज दिनांक 03 फरवरी, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैल कुमारी सोलंकी)